

NIC

आदेश फलक

(अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)


आदेश पत्रक तारिख से तक

जिला अनुमति :- बाढ, अंचल :- अथमलगोला का केस का प्रकार

365

एवं वर्ष

2013-14

आदेश की सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में तारिख सहित
<p>15/09/14</p>	<p>श्री/श्रीमति <u>कमला देवी</u> पति <u>शिवलाल पाण्डे</u> ग्राम <u>अमनापुर</u> थाना <u>अथमलगोला</u> जिला पटना अंचल अथमलगोला जिला ने निम्नलिखित जमीन विक्री/दानपत्र/बखशीशनामा बटवोरा/विनिमय/उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया है तथा इसमें नामान्तरण का आदेश समर्पित किया है। अतः संबंधित वसीका सह कागजात को हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक के माध्यम से नामान्तरण के विन्दु पर जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित करें। अभिलेख क्रमांक <u>22/05/14</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: center;">जमीन का विवरण</p> <p>ग्राम/थाना नं० <u>अमनापुर 108</u> खाता नं० <u>142</u> रकबा <u>757</u> रकबा <u>0.2 1/2 बी</u></p> <p style="text-align: right;">  अंचलाधिकारी अथमलगोला </p>	

16/09/14

अभिलेख उपस्थापित किया गया। हल्का कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रतिवेदन के अचलांकन से विदित होता है कि प्रतिवेदन जमीन विक्री पत्र / दानपत्र / बख्शीशनामा बटवारा / विनिमय / उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त की गयी है। विक्रेता के नाम से जमाबन्दी कायम है / नहीं है। अतः नामान्तरण स्वीकृत के पूर्व आपति आमंत्रण हेतु क्रेता विक्रेता एवं आम महाल के नाम से सूचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 29/08/13 को उपस्थापित करें।

अंचलाधिकारी
अथमलगोला

तामिला प्रतिवेदन प्राप्त

तामिला के उपरान्त किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपति नहीं किया गया है। अभिलेख दिनांक 19/08/13 को उपस्थापित करें।

अंचलाधिकारी
अथमलगोला

हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व वसूली के हित में स्वतंत्र प्रभावित नहीं करते हुए नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है। शुद्धी पत्र निर्गत करें।

अंचलाधिकारी
अथमलगोला

अंचलाधिकारी
अथमलगोला